कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–131 / 2021 285 अम्बिकापुर, दिनांक 13/2/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
छ0ग0 रायपुर।

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Korea Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-4.746 ha.-regarding**
पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/42198/2019

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम–115–816 / 360 दिनांक 10.02.2021
2. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल का पत्र क्र0 / तक.क. / 246 दिनांक 12.02.2021

––00––

विषयांकित भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य के पूर्व प्रेषित वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र–1 द्वारा वांछित जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनगण्डल के संदर्भित पत्र–2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित मार्गों को आवेदक विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 09.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया था किन्तु पृष्ठ क्रमांक–76 में वर्णित सोनहत ब्लॉक के 07 मार्ग जो गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है, उसमें आवेदक विभाग के संयुक्त प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कराये गये है एवं इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त प्रमाण–पत्र का उल्लेख भी वनमण्डल स्तर से नहीं किया गया है। **सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ क्रमांक–76 की छायाप्रति संलग्न है।**
2. प्रस्तावित मार्गों में से गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 07 मार्ग जो गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है तत्संबंध में संचालक गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र क्र. / मा.चि. / 288 दिनांक 12.02.2021 द्वारा यह जानकारी दी गई है कि आज की स्थिति में 10 कि0मी0 की परिधि में Eco-Sensitive Zone अधिसूचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की सीमा से 07 कि0मी0 की परिधि में Eco-Sensitive Zone अधिसूचित करने का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0 रायपुर को उनके पत्र क्र. / 1483 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र0 / व0प्रा0 / प्रबंध–166 / 14 / 2222 दिनांक 27.08.2014 के माध्यम से MOEF नई दिल्ली के पत्र क्र. / F no. 6-10/2011/WL Dt. 19-12-2012 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया गया है कि संरक्षित क्षेत्र में एवं संरक्षित क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में वनक्षेत्र होने की स्थिति में गैर वानिकी कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवश्यक अनुमति के अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से भी पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। **छायाप्रति संलग्न है।**

Scanned by CamScanner

MOEF नई दिल्ली के पत्र क्र./F no. 6-10/2011/WL Dt. 19-12-2012 द्वारा जारी गाईड लाईन के पैरा क्रमांक–3.5.1 अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी एवं सेन्चूरी के 10 कि0मी0 की परिधि में Eco-Sensitive Zone होने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति National Board of Wildlife से लिया जाना है। **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।**

वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र मय सहपत्र की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एवं अभिलेख सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– **संदर्भित पत्र मय सहपत्र।**

1. पृष्ठ क्र–76 की छायाप्रति।
2. संचालक गु0घा0रा0उ0 बैकुण्ठपुर के पत्र दि. 12.02.2021 की छायाप्रति।
3. अ0प्र0मु0व0सं0(वन्यप्राणी) छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र0/व0प्रा0/प्रबंध–166/14/2222 दिनांक 27.08.2014
4. MOEF नई दिल्ली के पत्र क्र./F no. 6-10/2011/WL Dt. 19-12-2012

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0/मा.चि./न0क्र0– 131/2021 286 **अम्बिकापुर, दिनांक** 13/01/2021
प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./ 246 बैकुण्ठपुर, दिनांक 12 /02/ 2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for Bharat net phase -II "korea division" Bharat Net project which is a GOI initative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Block through optic fiber cable laying of approximately 32466 km the laying of optical fiber cable of 32466 km will involve 26 district across the state, area - 4.746 ha. regarding.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42158/2019

संदर्भ :-
1. उप सचिव छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ–5–24/2020/10–2 दिनांक 29.01.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/वं.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पृ0 क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–816/361 दिनांक 10.02.2021
3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./792 दिनांक 12.02.2021

——✻——

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में प्रतिवेदन है कि उप सचिव महोदय छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में वांछित बिन्दुवार अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित मार्गों को आवेदक विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 09.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया था, किन्तु पृष्ठ क्रमांक 76 में वर्णित सोनहत ब्लॉक के 07 मार्ग जो गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है, उसमें आवेदक विभाग के संयुक्त प्रमाण – पत्र की आंवश्यकता नही होने के कारण हस्ताक्षर नही कराये गये है, एवं इस बिन्दु के परिपेक्ष्य में संयुक्त प्रमाण – पत्र का उल्लेख भी वनमण्डल स्तर से नही किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ क्रमांक 76 की छायाप्रति संलग्न है।
2. प्रस्तावित मार्गों में से गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 07 मार्ग जो गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है, तत्संबंध में संचालक गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./288 दिनांक 12.02.2021 द्वारा यह जानकारी

Scanned by CamScanner

दी गई है कि आज की स्थिति में 10 कि0मी0 की परिधि में Eco - Sensitive Zone अधिसूचित नही है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 07 कि0मी0 की परिधि में Eco - Sensitive Zone अधिसूचित करने का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छ0ग0 रायपुर को उनके पत्र क्रमांक/1483 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।**

Government of India Ministry of Environment and Forest Wildlife Division New Delhi के पत्र क्रमांक FNo.6-10/2011 WL Dated 19-12-2012 द्वारा जारी **गाईड लाईन के पैरा क्रमांक 3.5.1** अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी एवं सेंचुरी के 10 कि0मी0 की परिधि में Eco - Sensitivity Zone होने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति National Board of Wildlife से लिया जाना है। **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।**

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अभिलेख सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :–

1. **पृष्ठ क्रमांक 76 की छायाप्रति।**
2. **संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र दिनांक 12.02.2021 की छायाप्रति।**
3. **Government of India Ministry of Environment and Forest Wildlife Division New Delhi के पत्र क्रमांक FNo.6-10/2011 WL Dated 19-12-2012 की छायाप्रति।**

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क/ बैकुण्ठपुर, दिनांक / / 2021
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0 नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-
वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि०मी० की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है, अथवा प्रस्तावित है, या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।

(छ०ग० शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ.5–20/2007/10–2 दिनांक 12.01.2010)

टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा विकासखण्ड सोनहत अंतर्गत प्रस्तावित 15 मार्ग दूरी 39.719 कि०मी० क्षेत्रफल 1.986 हें. में से निम्नानुसार 07 मार्ग गुरूघासी दास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि०मी० परिधि के अंतर्गत स्थित है।

<u>विवरण :–</u>

क्रं.	परिक्षेत्र	विकासखण्ड	मार्ग का नाम	कक्ष क्रं. /खसरा क्रं.	लम्बाई	क्षेत्रफल हें.
1	सोनहत	सोनहत	भैंसवार से रजौली	कक्ष क्रं. पी. 259	1.276	0.064
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	कक्ष क्रं. पी.254	0.157	0.008
2	-----"-----	-----"-----	पोंड़ी से सोनहत	कक्ष क्रं. पी.257	3.401	0.170
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	खसरा क्रं. 78	0.057	0.003
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	कक्ष क्रं. पी.258	1.176	0.059
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	खसरा क्रं. 74	0.170	0.008
3	-----"-----	-----"-----	बेलिया से सोनहत	कक्ष क्रं. 244	0.009	0.000
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	कक्ष क्रं. 245	1.084	0.054
	योग :–				7.330	0.366
4	देवगढ	सोनहत	अकलासरई से भैंसवार	कक्ष क्रं. पी. 344	1.051	0.053
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	कक्ष क्रं. पी.345	1.704	0.085
5	-----"-----	-----"-----	मझारटोला से केशगवां (भाग)	कक्ष क्रं. 365	0.738	0.037
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	कक्ष क्रं. 366	0.225	0.011
	-----"-----	-----"-----	-----"-----	खसरा क्रं. 64	0.081	0.004
6	-----"-----	-----"-----	कैलाशपुर से घुघरा (भाग)	कक्ष क्रं. 368	2.366	0.118
7	-----"-----	-----"-----	पुसला से कटगोडी (भाग)	कक्ष क्रं. पी.405	0.882	0.044
	योग :–				7.047	0.352
	कुलयोग :–				14.377	0.718

उक्त के अतिरिक्त पेज नं. 87 से 92 में वर्णित शेष प्रस्तावित मार्गो जिसके 10 कि०मी० की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर न तो प्रस्तावित है नही स्थित है, तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित है।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया
Phone No. (Office) 8234015900
Email : ggdru_bkp@yahoo.com

क्रमांक/मा0चि0/ 288 बैकुण्ठपुर, दिनांक :..12../02/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act; 1980 Proposed for Bharat net phase -II "Korea division" Bharat Bet project which is a GOI initative Under this Project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Block through optic fiber cable laying of approximately 32466 km the laying of optical fiber cable of 32446 km will involve 26 disstrict across the state, area- 4.746 ha. regarding .**
पंजीयन क्रमांक **FP/CG/OFC/ 42158/2019**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/तक.क./241 बैकुण्ठपुर दिनांक 12.02.2021

——OO——

विषयान्तर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा लाईन से 7 कि.मी. की परिधि में Eco- Sensitive Zone अधिसूचित करने का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर को कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./1483 दिनांक 06.06.2017 के द्वारा प्रेषित किया गया है। आज के स्थिति में 10 km की परिधि में Eco-Sensitive Zone अधिसूचित नही है। अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

संचालक
गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
बैकुण्ठपुर

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

Government of India
Ministry of Environment and Forests
Wildlife Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003

F. No. 6-10/2011 WL
Dated: 17 December 2012

Sub: **Guidance document for taking up non forestry activities in wildlife habitats.**

Reference is invited to this Ministry's letter of even no. dated 15th March 2011 regarding the above mentioned subject. In this context, the undersigned is directed to mention that the matter has been discussed in great detail in the Ministry of Environment and Forests and the old guidelines have been reviewed in light of the existing provisions of laws and rules. It has been highlighted in the review that unless there is a clear legal delineation of elephant habitats and corridors, the implementation of the guidelines with respect to Elephant Reserves and corridors becomes very difficult. Therefore, the Wildlife Department is to work out a process by which these habitats acquire legal status. In the meanwhile, the revised guidelines, annexed to this letter, will be used as guidance for NBWL clearance for non-forestry activities are to be taken up in wildlife area.

2. It is clarified that while project proponents may simultaneously apply for Environment, Forest and NBWL clearances, in order to complete the formalities without undue delay, no rights will vest in or accrue to them unless all clearances are obtained. In other words, project proponents cannot rely upon the concept of *fait accompli*, if they have already received any of the clearances. The Environmental, Forest and NBWL clearances will all be processed on their respective merits, and the clearance of one aspect will not confer any right upon the project proponent. Complete clearance is obtained only when all the requisite clearances have been obtained by the Project Proponent. This approach would protect the integrity of the flora and fauna of the country, as well as bring in clarity and transparency in the issue of Environmental, Forest and NBWL clearance.

3. This is in supersession of the orders of even no. dated 15th March 2011, and any communication related to this document thereafter.

4. This issues with the approval of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests.

(Vivek Saxena)
Deputy Inspector General of Forests (WL)

Encl: Revised guidelines

Distribution:

1. The Secretary, all Ministries/Departments of Government of India, New Delhi
2. The Chief Secretary, all States/Union Territories
3. The Pr. Chief Conservator of Forests, all States/Union Territories
4. The Chief Wildlife Warden, all States/Union Territories.

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

3.5 Activities in areas other than Protected Areas:

In addition to the notified protected areas as described above, the consideration of the Standing Committee of NBWL has been prescribed in certain circumstances, which are listed below:

3.5.1 Activities within 10 Kms from boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries:

In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated 4th December 2006 in Writ Petition (Civil) No. 460/2004, in case any project requiring Environmental Clearance, is located within the eco-sensitive zone around a Wildlife Sanctuary or National Park or in absence of delineation of such a zone, within a distance of 10 kms from its boundaries, the User agency/Project Proponent is required to obtain recommendations of the Standing Committee of NBWL.

3.5.2 Activities within areas connecting the Tiger Reserves, notified by NTCA for controlling the land use as per section 38 O (g):

Section 38 O (g) of the Wild Life Protection Act, 1972 entrusts the responsibility to NTCA to ensure that areas connecting Tiger habitats are not diverted for ecologically unsustainable habitats except in public interest and with the approval of NBWL. Proposals for any activities in such areas duly notified by NTCA, and recommended by it in accordance with these provisions, to be covered under such regulation will be permitted only after seeking recommendations of the Standing Committee of NBWL. Violation of this provision is required to be dealt with by the NTCA.

4. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR CONSIDERATION OF PROPOSALS BY THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE:

4.1 The User Agency/Project Proponent is required to submit the proposal in the prescribed proforma that has been prescribed by the Ministry of Environment and Forests, and is available on the website of the Ministr (http://moef.nic.in/modules/others to be filled in) (Annexure-1).

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य [illegible] (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण
सह [illegible]णी अभिरक्षक), छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
ईमेल – pccfwl@sify.com(Ph. 0771-2552228, Fax. 0771-2552227)

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–166/14/2222 रायपुर दिनांक 21/08/2014

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर

2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
रायपुर/कांकेर/जगदलपुर/
दुर्ग/सरगुजा/बिलासपुर
वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सरगुजा

विषय– वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी की गई निर्देश।

संदर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.N. 6-10/2011/WL दिनांक 19.12.2012

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। संरक्षित क्षेत्र में एवं संरक्षित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गैर वानिकी कार्य करना प्रतिबंधित है। किन्तु संरक्षित क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र की 10 कि.मी. की परिधि में वन क्षेत्र होने की स्थिति में गैर वानिकी कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अनुमति के अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से भी पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। संरक्षित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में वन क्षेत्र न होने की स्थिति में केवल राष्ट्रिय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। अतः ऐसे कोई गैर वानिकी कार्य करने हेतु यदि किसी संस्था द्वारा आवेदन प्राप्त होता है तो संदर्भित पत्र में दर्शाये गये निर्देशों का पालन करते हुये प्रक्रिया का अनुसरण करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक संस्था एवं वन्यप्राणी अधिकारी द्वारा निम्न में दर्शाये अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र.	भाग	किसके द्वारा कार्यवाही की जावेगी	रिमार्क
1	पार्ट–1 एवं 2	आवेदक संस्था द्वारा भरी जावेगी।	आवेदन से संबंधित मैप एवं अन्य जानकारी संलग्न की जावेगी।
2	पार्ट–3	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरी जावेगी।	आवेदक संस्था से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी।
3	पार्ट–4	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा भरी जावेगी।	15 दिवस के भीतर।
4	पार्ट–5	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा भरी जावेगी।	

SHRAVAN/PRAKASH Daily Memo 2014

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

उपरोक्त में दर्शाये गये प्रक्रिया के अनुसार आवेदक संस्था से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ समस्त वनमंडलाधिकारी/संचालक (राष्ट्रीय उद्यान) एवं उप संचालक (अभ्यारण्य) को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :— संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(के. सी. बेबर्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़,रायपुर

पृष्ठां. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/14/2223 रायपुर दिनांक 27/08/2014

प्रतिलिपि :—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :— संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़,रायपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner